



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 24, 2010/फाल्गुन 5, 1931

No. 87]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 24, 2010/PHALGUNA 5, 1931

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2010

सा.का.नि. 99(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, द्रवित पेट्रोलियम गैस (मोटरयानों में उपयोग का विनियम) आदेश, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस (मोटरयानों में उपयोग का विनियम) संशोधन आदेश, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. द्रवित पेट्रोलियम गैस (मोटरयानों में उपयोग का विनियम) आदेश, 2001 में,—

(i) पैरा 2 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“2. परिभाषाएं.—इस आदेश में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) 'आटो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आटो द्र पे गै)' से पेट्रोलियम से व्युत्पन्न कतिपय हल्के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण अभिप्रेत है जिसमें सामान्य तापमान के आसपास और वातावरण के दबाव पर गैसीय हो जाता किंतु मध्यम दबाव के उपयोग द्वारा सामान्य तापमान के आसपास द्रव अवस्था में संघनित हो सके और जो भारतीय मानक विनिर्देश संख्यांक भा. मा. 14861 के अनुरूप हो;

(ख) आटो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस वितरण स्टेशन से यांत्रिक प्रयोजनों के लिए मोटरयान को आटो द्र पे गै के भंडारण और वितरण के उपयोग के लिए परिसर अभिप्रेत है;

(ग) आटो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस वितरण स्टेशन डीलर से या सरकारी तेल कंपनी या किसी सामान्यतः विक्रेता और स्थिर या सचल दबाव वाहिका (अग्निरोधी) नियम, 1981 के अधीन मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के क्रय, भंडारण और विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त कोई व्यक्ति, फर्म, व्यक्तियों का संगम, कम्पनी, संस्थान, संगठन अभिप्रेत है;

(घ) आटो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आयात प्रतिस्थापन से किसी सरकारी कम्पनी या आटो द्र पे गै के लिए सामान्यतः विक्रेता द्वारा आटो द्र पे गै के आयात का निम्नलिखित प्रतिस्थापन अभिप्रेत है—

(i) आटो द्र पे गै के रूप में देशज द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत विनिर्दिष्ट परिष्करणी या प्रभाजक से उत्पादित;

(ii) समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत पेट्रोलियम इकाइयों द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रतिस्थापन अभिप्रेत है जो भारतीय मानक विनिर्देश भा.मा. 14861 के अनुरूप हो।

- (ड) 'आटो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस टैंक' से आटो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के भंडारण और परिवहन के लिए इस्पात का आधान अभिप्रेत है जो किसी मोटरयान या यान में यंत्रिक ईंधन के लिए टैंक के रूप में स्थाई रूप से लगा है और जिसे उसी अवस्था में भरा जाता है और जिसका आयतन पांच सौ मि.ली. से अधिक किंतु हजार लीटर से अनधिक है, जो गैस सिलेंडर नियम, 1981 के अधीन मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित है और भारतीय मानक विनिर्देश सं. भा.मा. 14899 के अनुरूप हैं;
- (च) 'मुख्य विस्फोटक नियंत्रक' का वही अर्थ होगा जो विस्फोटक अधिनियम, 1984 (1984 का 4) में है;
- (छ) 'उपभोक्ता' से किसी मोटरयान का रजिस्ट्रीकृत स्वामी या कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके कब्जे में ऐसा मोटरयान या यान है जिसमें भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आटो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस टैंक और संपरिवर्तन किट लगी हो और ऐसे मोटरयान को आटो मोबाइल ईंधन के रूप में द्रवित पेट्रोलियम गैस या किसी अन्य पेट्रोलियम ईंधन के उपयोग से चलाता है;
- (ज) 'संपरिवर्तन किट या मूल उपस्कर विनिर्माता द्वारा लगाई गई' से ऐसी कोई संपूर्ण प्रणाली असेंबली में अभिप्रेत है जो केन्द्रीय मोटरयान नियम, 2001 में, जो द्विईंधन पद्धति उल्लिखित परीक्षण अभिकरण में से किसी एक द्वारा सम्यक रूप से परिक्षित हो और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित हो;
- (झ) 'सरकारी तेल कंपनी' से ऐसी कोई तेल परिष्करण कंपनी या तेल विपणन कंपनी अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में सरकारी कंपनी के रूप में परिभाषित और अनुसूची-5 में विनिर्दिष्ट है;
- (ञ) 'सरकारी तेल कंपनी प्रणाली' से ऐसी प्रणाली अभिप्रेत है जिसके अधीन कोई सरकारी कंपनी आटो मोबाइल प्रयोजन के लिए वितरण स्टेशनों के माध्यम से किसी या सभी प्रकार के आयात का कारबार (जिसके अंतर्गत आटो द्रवित पेट्रोलियम गैस आयात का प्रतिस्थापन भी है, भंडारण, वितरण या विक्रय करती है);
- (ट) 'भारतीय मानक' के वही अर्थ होंगे जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 2 के खंड (छ) में है;
- (ठ) 'मोटरयान' या 'यान' का वही अर्थ होगा जो मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 की उप-धारा (28) में है;
- (ड) 'आटो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के लिए समांतर विपणनकर्ता' से ऐसा कोई व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संस्था, व्यक्तियों का संगम, सहकारी सोसायटी या संगठन अभिप्रेत है जो किसी सरकारी तेल कंपनी से भिन्न आयातित सभी या किसी अन्य प्रकार का कारबार करती है (जिसके अंतर्गत आटो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आयात का प्रतिस्थापन भी है), समांतर विपणन प्रणाली के अधीन आटो मोबाइल प्रयोजन के लिए आटो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का भंडारण, विपणन, वितरण और विक्रय और अनुसूची-2 में यथा विनिर्दिष्ट कोई रेटिंग प्रमाणपत्र रखता है;
- (ण) 'आटो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के लिए समांतर विपणन प्रणाली' से ऐसी प्रणाली अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत आयात का कारोबार करने वाले (जिसके अंतर्गत आटो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का आयात प्रतिस्थापन भी है) भंडारण, वितरण, अपने स्वयं की व्यवस्था के अधीन वितरण, स्टेशन के माध्यम से द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का विक्रय करने की प्रणाली है जो आटो द्रवीकृत गैस के विपणन में सरकारी तेल कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रणाली से भिन्न है;
- (त) 'अनुसूची' से इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।";
- (ii) पैरा 5 के उप-पैरा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
- "(4) प्रत्येक आटो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस वितरण स्टेशन का व्यवहारी—(i) सरकारी तेल कंपनी या समांतर विपणनकर्ता की पूर्वलिखित अनुज्ञा के बिना किसी कार्यदिवस को कार्यकरण के घंटों के दौरान भंडारण स्थल से आटो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस वितरण स्टेशन को बंद नहीं करेगा।
- (ii) परिसर, भंडारण स्थल, जिसके अंतर्गत आटो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस वितरण स्टेशन भी है को किसी दिन कार्यकरण घंटे के दौरान बंद रखने की अनुज्ञा के लिए प्राप्त लिखित अनुज्ञा को प्रमुख रूप से आटो

द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस स्टेशन के सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा”

स्पष्टीकरण—उप-पैरा (2), उप-पैरा (3) और उप-पैरा (4) के प्रयोजनों के लिए ‘कार्यकरण घंटे’ पद से यथास्थिति, संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त दुकान और स्थापन अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार संबद्ध सरकारी तेल कंपनी या किसी समांतर विपणनकर्ता द्वारा नियत कार्यकरण के घंटे अभिप्रेत हैं।” ।

अनुसूची 5

[पैरा 2(i) देखिए]

सरकारी तेल कंपनियों की सूची

- (i) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड;
- (ii) बॉम्बेईगैव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड;
- (iii) चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड;
- (iv) गैस अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड;
- (v) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड;
- (vi) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड;
- (vii) आई.बी.पी. कम्पनी लिमिटेड;
- (viii) कोची रिफाइनरी लिमिटेड;
- (ix) मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड;
- (x) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड;
- (xi) ऑयल इंडिया लिमिटेड;
- (xii) ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड ।

[फा. सं. पी-19012/1/2002-एमकेटी (आर)]

अपूर्व चंद्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) संख्यांक सा.का.नि. 569(अ) तारीख 1 अगस्त, 2001 द्वारा प्रकाशित किया गया ।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2010

G.S.R. 99(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendments to the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Use in Motor Vehicles) Order, 2001, namely :—

1. (1) This Order may be called the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Use in Motor Vehicles) Amendment Order, 2009.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Use in Motor Vehicles) Order, 2001, —

(i) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely :—

“2. Definitions.—In this Order, unless the context otherwise requires,—

(a) ‘Auto Liquefied Petroleum Gas (auto LPG)’ means a mixture of certain light hydrocarbons derived from petroleum, which are gaseous at normal ambient temperature and atmospheric pressure but may be condensed to the liquid state at normal ambient temperature by the application of moderate pressure, and which conforms to the Indian Standard Specification No. IS 14861;

(b) ‘Auto Liquefied Petroleum Gas Dispensing Station’ means the premises used for storing and dispensing auto LPG to the motor vehicles for automotive purpose;

(c) ‘Auto Liquefied Petroleum Gas Dispensing Station Dealer’ means a person, firm, association of persons, company, institution, organisation or a cooperative society appointed by a Government Oil Company or a parallel marketeer and engaged in the business of purchase, storage and sale of auto Liquefied Petroleum Gas and licensed by the Chief Controller of Explosives under the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 1981;

(d) ‘Auto Liquefied Petroleum Gas Import Substitution’ means import of auto LPG by a Government oil company or parallel marketeer for auto LPG, as a substitution for—

(i) use of indigenous Liquefied Petroleum Gas as auto LPG, produced from specific refineries or fractionators, authorised by the Central Government;

(ii) Liquefied Petroleum Gas through petrochemical units as authorised by Central Government from time to time, conforming to Indian Standard Specification IS : 14861;

(e) ‘Auto Liquefied Petroleum Gas Tank’ means a steel container for storage and

- transport of auto liquefied petroleum gas fitted permanently in a motor vehicle or vehicle as its fuel tank, for automotive fuel and filled in that position, having a volume exceeding five hundred millilitres but less than thousand litres, as approved by the Chief Controller of Explosives under Gas Cylinder Rules, 1981, and conforming to the Indian Standard Specification No. IS : 14899;
- (f) 'Chief Controller of Explosives' shall have the same meaning assigned to it in the Explosives Act, 1884 (4 of 1884);
- (g) 'Consumer' means a registered owner of a motor vehicle or a person having in his possession a motor vehicle or vehicle fitted with an auto Liquefied Petroleum Gas tank and a conversion kit as notified by the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, and runs such motor vehicle by using auto LPG as automotive fuel alone or with some other petroleum fuel;
- (h) 'Conversion kit or original equipment manufacturer (OEM) fittings' means a complete system assembly, duly tested by one of the testing agencies mentioned in the Central Motor Vehicles Rules, 2001, and approved by the Ministry of Road Transport and Highways, in a bi-fuel mode;
- (i) 'Government Oil Company' means an oil refining company or oil marketing company being a Government company as defined in Section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and specified in Schedule V;
- (j) 'Government Oil Company System' means the system under which a Government Oil Company carries on any or all of the business of importing (including Auto LPG Import Substitution), storing, distribution or selling LPG for automotive purpose through dispensing stations;
- (k) 'Indian Standard' shall have the same meaning as assigned to it in clause (g) of Section 2 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986);
- (l) 'motor vehicle' or 'vehicle' shall have the same meaning assigned to it in sub-section (28) of Section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);
- (m) 'parallel marketeer for auto LPG' means any person, firm, company, institution, association of persons, co-operative society or organisation other than a Government Oil Company carrying on all or any of the business of importing (including Auto LPG Import Substitution), storing, marketing, distributing and selling of auto LPG for automotive purpose under the parallel marketing system and having a rating certificate as specified in Schedule II;
- (n) 'parallel marketing system for auto LPG' means the system, other than the system followed by the Government Oil Company in marketing auto LPG, under which a parallel marketeer carries on all or any of the business of importing (including Auto LPG Import Substitution), storing, distribution or selling auto LPG through dispensing stations under his own arrangement;
- (o) 'Schedule' means the Schedule appended to this Order.”;
- (ii) in paragraph 5, for sub-paragraph (4), the following sub-paragraph shall be substituted, namely,—
- “(4) Every auto LPG dispensing station dealer shall—
- (i) not keep the auto LPG dispensing station premises including the storage point closed during the working hours, on any day without the prior written permission of the Government Oil Company or a parallel marketeer;
- (ii) prominently display the written permission obtained for keeping the premises, storage points, including the auto LPG dispensing station, closed during working hours on any day at a conspicuous place of the auto LPG dispensing station.
- Explanation.**—For the purpose of sub-paragraphs (2), (3) and (4), the expression 'working hours' means the working hours fixed by the concerned Government Oil Company or a parallel marketeer in accordance with the provisions of the Shops and Establishment Act, and the rules made there under, as in force in the respective State or Union Territory, as the case may be.”

Schedule-V

[see paragraph 2(i)]

List of Government Oil Companies:

- (i) Bharat Petroleum Corporation Limited;
- (ii) Bongaigaon Refinery and Petrochemicals Limited;
- (iii) Chennai Petroleum Corporation Limited;
- (iv) Gas Authority of India Limited;
- (v) Hindustan Petroleum Corporation Limited;
- (vi) Indian Oil Corporation Limited;
- (vii) IBP Co. Limited;
- (viii) Kochi Refineries Limited;

- (ix) Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited;
or
- (x) Numaligarh Refinery Limited;
- (xi) Oil India Limited;
- (xii) Oil and Natural Gas Corporation Limited.

[F. No. P-19012/1/2002-Mkt. (R)]

APURVA CHANDRA, Jt. Secy.

Note.—The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 569(E), dated the 1st August, 2001.

732 GI/10-2